HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Application No. 178/2025

1. Ganesh Narain Mathur (Deceased), Through Legal Representatives

1/1. Smt. Asha Mathur, Widow Of Late Shri Ganesh Narian Mathur

1/2. Dr. Deepak Mathur, S/o Late Shri Ganesh Narian Mathur

1/3. Dr. Sandeep Kumar Mathur, S/o Late Shri Ganesh Narian Mathur

----Petitioners

Versus

1. Deepak Kumar Purkayastha S/o Late Shri Dwijendra Lal Purkayastha, C/o Gyan Vihar College, Jatat Pura, Jaipur.

2. Dr. Suman Kanwar Purkayastha S/o Late Shri Dwijendra Lal Purkayastha, Plot No. 10-72-E-18-A, Kukurmutta, Varanasi (U.p.) Pin 221004.

3. Dr. Jaishri Purkayastha D/o Late Shri Dwijendra Lalpurkayastha And Wife Of Dr/ Harish Bafna, Resident Of D-117 Siwad Area, Bapu Nagar, Jaipur.

4. Municipal Corporation, Through His Mayor, Deendayalupadhayay Bhawan, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur.

5. Commissioner, Municipal Corporation, Moti Dungrizone, Ghat Gate, Jaipur.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. R. K. Mathur, Sr. Adv. with Mr. Aditya Kiran Mathur, Adv. Mr. Aayush Goyal, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Gaurav Singh Tanwar, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

28/04/2026

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अपीलार्थी का निवेदन है कि प्रत्यर्थी क्रम–2, 4 व 5 पर आवेदन के नोटिस तामील हो चुके हैं, किंतु प्रत्यर्थी क्रम–1 व 3 पर सद्भाविक प्रयासों के बावजूद नोटिस तामील होना संभव नहीं हो रहा है, जिनमें प्रत्यर्थी क्रम–3 के अंकित पते पर ताला लगा होना व प्रत्यर्थी क्रम–1 के अंकित पते पर उपलब्ध नहीं होने की रिपोर्ट भी आई है। उनका यह भी निवेदन है कि सभी पक्षों/उनके अधिवक्ता की उपस्थिति में द्वितीय अपील संख्या–576/2011 का निस्तारण गुण–दोषों पर निर्णय दिनांक 21.11.2025 के माध्यम से हो चुका है। निर्णय पारित होते समय संशोधित वाद शीर्षक के स्थान पर अन्य वाद शीर्षक टंकित हो जाने से आगामी कार्यवाही में जटिलताएं उत्पन्न हो रही है, यह लिपिकीय त्रुटि है और इस प्रयोजन के लिए उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्यर्थी क्रम–1 व 3 की तामील से छूट प्रदान कर संशोधित वाद शीर्षक निर्णय का भाग माने जाने के संबंध में उचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्यर्थी क्रम–1 व 3 की तामील से छूट प्रदान की जाती है, शेष अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण की बहस सुनी, अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वाद लंबित रहने के दौरान मूल वादी गणेश नारायण माथुर की मृत्यु हो जाने से उसकी पत्नी आशा माथुर तथा दो पुत्रों को वाद शीर्षक पर लिया गया था, लेकिन कालांतर में श्री गणेश नारायण माथुर की पत्नी आशा माथुर की भी मृत्यु हो गई और उसके विधिक उत्तराधिकारी जो कि पहले से ही अभिलेख पर होने के कारण आशा माथुर का नाम वाद शीर्षक से हटाये जाने का आदेश दिया गया था और यह आवेदन दिनांक 11.04.2017 को स्वीकार करते हुए संशोधित वाद शीर्षक अभिलेख पर लिया गया था, लेकिन निर्णय

दिनांक 21.11.2025 पारित करते समय संशोधित वाद शीर्षक निर्णय में उल्लेखित नहीं हुआ है, अतः ऐसी स्थिति में इस आवेदन के साथ प्रस्तुत संशोधित वाद शीर्षक जो मूलतः व सारतः पहले से ही अभिलेख पर लिया जा चुका है, को निर्णय दिनांक 21.11.2025 के वाद शीर्षक का भाग माने जाने का आदेश दिया जाता है।

इसी अनुसार यह आवेदन स्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /03